

विचार बिन्दु

जैसे उल्टू को सूर्य नहीं दिखाई देता वैसे ही दुष्ट को सौजन्य दिखाई नहीं देता। —स्वामी भजनानंद

आरबीआई द्वारा चार साल बाद रेपोरेट बढ़ाया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले हफ्ते अपनी बेंचमार्क ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दी। ब्याज दर में यह बढ़ोतरी लगभग चार साल बाद हुई है। अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वालों को इस बढ़ोतरी की पहले से उम्मीद थी। लेकिन आरबीआई ने “कैलिब्रेटेड टाइटनिंग” की तरफ अपना रुख बदलकर सबको चौंका दिया। इससे बहुतों को लगता है कि बढ़ती महंगाई और कमजोर होती करेंसी के कारण ब्याज दर में आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि आरबीआई का ब्याज दर बढ़ाने का फ़ैसला 9 से 12 महीने देर से आया है। आरबीआई को बहुत ज़्यादा मॉनिटरि एक्सपेंशन पर लागाम लगाने के लिए तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार के वैश्विक हालात हैं उसे देखते हुए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने अपनी पॉलिसी को सख्त करना शुरू कर दिया है। आरबीआई के फैसले को इन परिस्थितियों की रोशनी में देखना उचित होगा। सितंबर में कच्चे तेल की कीमतें 14 प्रतिशत बढ़ीं। इससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, जो रुपये पर दबाव डालेगा। इससे इंपोर्टेड महंगाई बढ़ सकती है। कमजोर मॉनसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और चिंता का विषय है। इस फैसले के समय बारिश में लगभग 13 प्रतिशत की कमी रही, जबकि जलाशयों में पानी का स्तर उनकी कुल क्षमता का 70.8 प्रतिशत था। यह 1० साल के औसत 80 प्रतिशत से कम है और पिछले साल के 89.5 प्रतिशत से काफी नीचे है। खरीफ की बुआई में भी 1.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। चावल की बुआई में 3.7 प्रतिशत और अनाज की बुआई में 2.3 प्रतिशत की कमी बताई जा रही है। इससे खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का खतरा स्वाभाविक ही पैदा हो गया है। हालांकि अगस्त में महंगाई का आंकड़ा काबू में रहा है, लेकिन खाने-पीने की चीजों की महंगाई 6 प्रतिशत के करीब है और तेल की ऊंची कीमतें ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इनपुट लागतों को बढ़ा सकती हैं। बहुतों को ऐसा लगता है कि इन दबावों के कारण वित्तीय वर्ष 26–27 की तीसरी तिमाही में रिटेल महंगाई छह प्रतिशत से ऊपर चली जाएगी। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह मुख्य रूप से आपूर्ति की समस्या है, जिस पर मॉनिटरि पॉलिसी का असर सीमित होता है। लेकिन जानकार लोगों का मतव्य है कि आरबीआई द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरें अतिरिक्त लिक्विडिटी – नकदी – ग्रीथ को सहारा दे सकती हैं। इसका मतलब है कि ब्याज दरें बढ़ाने से अर्थव्यवस्था के ग्रीथ पर पड़ने वाले असर की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए महंगाई का अनुमान 5.1 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जो आरबीआई के 5 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आरबीआई को महंगाई को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का काम सौंपा हुआ है, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत अंक की छूट (टॉलरेंस बैंड) शामिल है। भविष्य के बारे में आरबीआई एवररॉक का कहना है कि आगे और सख्ती कब और कितनी की जाएगी, यह महंगाई और ग्रीथ के बढ़ते पर निर्भर करेगा, खासकर कीमतों पर दबाव और स्पलाई के कितने बड़े झटके अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं उसे देख कर फैसले लिये जाएंगे।

हालांकि देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं, फिर भी महंगाई का दबाव बढ़ गया है। अगस्त में कंज्यूमर–प्राइस महंगाई बढ़कर 4.82 परसेंट हो गई – जो लगातार तीसरे महीने आरबीआई के 4 परसेंट मीडियम–टर्म टारगेट से ज़्यादा है, जबकि गौर महंगाई बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई। आरबीआई का कहना है कि महंगाई का खतरा अब उतना कम नहीं रहा जितना एक साल पहले था, और इसका कारण खाने-पीने की चीजों और इंधन की ज़्यादा कीमतें, मॉनसून में कम बारिश, अल नीनो की स्थिति और इंटरनेशनल तेल की कीमतों में नए उतार–चढ़ाव शामिल है। आरबीआई को अब उम्मीद है कि 2026–27 के वित्तीय वर्ष में हेडलाइन महंगाई औसतन 5.2 प्रतिशत रहेगी, और तीसरी तिमाही में महंगाई बढ़कर 6.0 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत हो सकती है। ऐसे में कुछ वित्तीय विश्लेषकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुमान है कि आने वाले समय में महंगाई के दबाव

बहुत से उम्र दराज लोग अपनी जमा पूँजी बैंकों में ही जमा कराना सुरक्षित समझते हैं। यदि बैंक ब्याज दर बढ़ाते हैं तो उनकी अपनी जमाओं पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय थोड़ी बढ़ जाती है। किन्तु यहां बैंकों का अपना चतुराई वाला हिसाब-किताब नज़र आता है। वे फ्लोटिंग हाउसिंग लोन की ईएमआई बढ़ा देने में तो कोई देर नहीं लगाते, किन्तु नई जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाने में आराम से अपना समय लेते हैं। रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य देश में महंगाई (मुद्रास्फ़ीति) को नियंत्रित करना होता है।

त्योहारों के ठीक पहले, मांग की रफ्तार धीमी नहीं करेगी। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि आरबीआई अपनी न्यूट्रल पॉलिसी का रख तो बनाए रखेगा, लेकिन सावधानी बरतेगा, क्योंकि अगस्त में हुई पिछली पॉलिसी मीटिंग के बाद से ग्लोबल और घरेलू जोखिम बढ़ गए हैं। बैंक ने कहा भी कि 4.8 प्रतिशत की हेडलाइन महंगाई दर आरबीआई की 2–6 प्रतिशत की टॉलरेंस रेंज के अंदर है, जबकि घरेलू विकास मजबूत बना हुआ है। इन सारे संकेतकों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आरबीआई के गौर फैसला लिया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि त्योहारों के मौसम में ब्याज दरें बढ़ाने से बचा जाना चाहिए था। पॉलिसी रेट को स्थिर रखने से बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत होता और इससे बॉन्ड यील्ड को कम करने में मदद मिल सकती थी। किन्तु इस सलाह के समर्थक बहुत कम हैं।

रेपो रेट बढ़ाने के तुरंत बाद रिज़र्व बैंक ने शेड्यूल्ड बैंकों के लिए रोज़ाना कैश रिज़र्व रेश्यो (सीआरआर) बनाये रखने की न्यूनतम ज़रूरत को भी 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया है। यह बदला हुआ नियम 16 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने वाले रिपोटिंग पखवाड़े से लागू होगा। आरबीआई का कहना है कि यह बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में मौजूदा लिक्विडिटी की स्थिति की समीक्षा के बाद किया गया है। अभी, बैंकों को अलग-अलग दिनों में ज़रूरी सीआरआर का कम से कम 90 प्रतिशत बनाए रखने की इजाज़त है, जब तक कि पखवाड़े में रोज़ाना का औसत बैलेंस आरबीआई द्वारा तय सीआरआर स्तर से नीचे न गिर जाए। बदली हुई ज़रूरत के साथ अब बैंकों के पास अपने रोज़ाना के रिज़र्व बैलेंस को मैनेज करने में काफी कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उन्हें रिपोटिंग पखवाड़े के दौरान अपनी रोज़ाना की सीआरआर होल्डिंस् को तय ज़रूरत के काफ़ी करीब रखना होगा। सीआरआर में बढ़ोतरी से आम तौर पर बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा फंड रखने पड़ते हैं, जिससे उनके पास उधार देने और दूसरे इस्तेमाल के लिए कम पैसे बचते हैं। इससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो सकती है, बैंकों के लिए फ्रैडिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, और अगर उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कम फंड उपलब्ध हैं तो क्रेडिट की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। लेकिन, आरबीआई के नए फैसले में खास तौर पर जर्मिफम डेली मॉटेन्सेस लिमिटेड बढ़ा दी गई है और यह अपने आप में तय सीआरआर रेट को नहीं बढ़ाता है। नए सीआरआर की व्यवस्था आरबीआई के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके इसे 5.5० परसेंट करने के एलान के कुछ ही दिनों बाद आई है। जिन आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आरबीआई की मीट्रिक नीति आई है वह सबके सामने स्पष्ट है। इस बार मॉनसूनी बारिश पूरी नहीं होने के कारण फ़सल की पैदावार कम होने का जोखिम बना हुआ है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पांच प्रतिशत के पार चली गई है। भारत और अमेरिका के यील्ड (रिटर्न) के बीच अंतर कम होने से आरबीआई के लिए मौजूदा स्थिति बनाए रखना महंगा हो गया था। आम तौर पर मीडिया में आरबीआई के ऐसे फैसलों का बैंकों से उधार लेने वालों, खासकर मकान खरीदने या बनाने के लिए लिए जाने वाले कर्जों की मासिक फ़िरत पर असर को ही एकांगी रूप से देखा जाता है। मगर उसका असर बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर भी पड़ता है, जो इस फैसले से बढ़ सकता है। बहुत से उम्र दराज लोग अपनी जमा पूंजी बैंकों में ही जमा कराना सुरक्षित समझते हैं। यदि बैंक ब्याज दर बढ़ाते हैं तो उनकी अपनी जमाओं पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय थोड़ी बढ़ जाती है। किन्तु यहां बैंकों का अपना चतुराई वाला हिसाब-किताब नज़र आता है। वे फ्लोटिंग हाउसिंग लोन की ईएमआई बढ़ा देने में तो कोई देर नहीं लगाते, किन्तु नई जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाने में आराम से अपना समय लेते हैं। रेपो रेट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य देश में महंगाई (मुद्रास्फ़ीति) को नियंत्रित करना होता है। ऐसा माना जाता है कि लोन महंगे होने के कारण बाजार में पैसों का फलो कम हो जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटती है और कीमतें काबू में रहती हैं।नई रेपोरेट की घोषणा हो जाने के बाद भी सबकी निगाह उन संकेतकों पर ज़रूर लगी रहेगी जो देश दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में उतार-चढ़ाव को दर्ज करते हैं।

—**अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)**

राशिफल

बुधवार 14 अक्टूबर, 2026

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत्–2083, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 4:०3 तक, आयुष्मान योग रात्रि 8:39 तक, वणिज करण दिन 12:21 तक, चन्द्रमा आज बुध्रिचक्र राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-बुध्रिचक्र, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह। आज सर्वोर्ध सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 4:०3 तक है। रवियोग रात्रि 4:०3 तक रहेगा। भद्रा दिन 12:21 से रात्रि 1:14 तक है। आज विनायक चतुर्थी, माना चतुर्थी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- लाभ अमृत सूर्योदय से 9:21 तक, शुभ 1०:47 से 12:13 तक, चर 3:०5 से 4:3० तक, लाभ 4:3० से सूर्यास्त तक।

राहुकाल- 12:०० से 1:3० तक, सूर्योदय 6:29, सूर्यास्त 5:58

मेघ चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

तुला आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेगे। आज आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे।

वृष परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। अगर परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृश्चिक मानसिक तनाव दूर होगा। मनो बला-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।

धनु पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कर्क व्यावसायिक कार्यों में व्यवसाय बनी रहेगी। नौकरशेरा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ आय में वृद्धि प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दान अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी और व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सके। होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

मीन नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

आखिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया शुरू, नवनिर्वाचित होने वाले सरपंचों से दो बात

प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी।

वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंचवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा दिए जाने की मुख्य सिफारिश की थी। इसी क्रम में जुलाई 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक अगस्त 1989 में लोकसभा में पारित हो गया किंतु विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो सका। विपक्षी दलों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह संघवाद के खिलाफ है।केंद्र सरकार के पास सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाला है। राजीव गांधी के प्रस्ताव को आधार बनाकर पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के कार्यकाल में ऐतिहासिक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया, जो देश भर में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संघायत समिति, जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डलवाएगा और इबीएम इनके लिए निर्धारित स्थान पर सुरक्षित पहुंचाई जाएंगी। इसके बाद दूसरे दिन मतदान दल सरपंच, पंच के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे, जांच करेगा और अन्य समस्त कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण कर, बैलेट पेपर से चुनाव करने की तैयारी पूर्ण करेगा। इसके दूसरे दिन पंच, सरपंच के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती वोट डालने के समय की समाप्ति के तत्काल बाद होगी। 20 से 28 नवंबर 26 के बीच प्रधान उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के चुनाव प्रमुख होने पर यह कार्यक्रम पूर्ण होगा।

इस बार पहली बार कुछ नई बातें भी हुई हैं। 50 प्रतिशत पंचायतों में महिला सरपंच होगी अर्थात 144०3 पंचायतों में से 72०1 में महिला सरपंच होगी क्योंकि पहली बार इन संस्थाओं में हर स्तर पर 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। दूसरी नई बात है कि दो से अधिक वच्चे होने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता समुपान कर दी है।

इस लेख को आगे बढ़ाने से पहले, यह बताना जरूरी है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप के लिए स्व. श्री राजीव गांधी, स्व. श्री पी वी नरसिम्हारवाव, स्व. श्री रामकृष्ण हेगड़े और समाजसेवक के स्व. श्री शिव शरण माधुर व अन्य कुछ लोगों ने विभिन्न प्रकार से विशेष प्रयास किए थे। श्री हेगड़े और श्री माधुर ने तो 73 वें संविधान संशोधन से पहले ही पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की

उपेक्षित विर्णित गणमान्य लोगों और सिविल सोसाइटी के बहुत से सक्रिय कार्यकर्ताओं को वचह से ही सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनावों की संवैधानिक व्यव्था बनाई। हर 5 साल में चुनाव होंगे। कानून में उल्लेखनुसार केवल कुछ समय के लिए इन संस्थाओं में प्रशासक लगाए जा सकते हैं पहले की भांति 1०,15 सालों तक चुनाव ही न कराए। वित्त आयोग की व्यवस्था की गई जो राज्य सरकार को सुझा देता है कि सरकार की आय में से कितना धन पंचायती राज संस्थाओं को उनके आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए दिया जाए।सरकार इन सिफारिशों और राजकीय आय को ध्यान में रख कर पंचायतीराज संस्थाओं

संशोधन ने नगरीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरीय नियोजन, भूमि उपयोग, सड़कें, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य शहरी विकास में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका मजबूत करना था। लेकिन व्यवहार में जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के साथ वित्तीय अभावका, र्पायपत कर्मचारी और प्रशासनिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना अब भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय रिजर्व बैंक की नगरपालिका वित्त रिपोर्ट–2०24 इस चुनौती को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023–24 में नगर निगमों का राजस्व देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ०.6 प्रतिशत था। अधिकांश नगर निगमों की अपनी आय उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे सरकारी हस्तांतरणों एवं अनुदानों पर निर्भर हैं। यह स्थिति बताती है कि शहरी अर्थव्यवस्था के विस्तार के बावजूद स्थानीय निकाय अपनी राजस्व क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता इसलिए केवल आय बढ़ाने का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय निर्णय क्षमता और प्रभावी शहरी शासन की बुनियादी शर्त है।

वर्ष 2०11 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की शहरी आबादी लगभग 1.7० करोड़ थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 24.9 प्रतिशत थी। नई जनगणना के आंकड़े

को बजट आवंटित करती है।

पंचायती राज संस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर और अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी ग्रामपंचायत है। बहुत से प्रशासनिक व विकास के महत्वपूर्ण कामों का संपादन इसी स्तर पर होता है। ग्रामपंचायत ही ग्रामसभा आयोजित कर समिति, जिलापरिषद को अनुशंसा करती है कि कौन-कौन से काम ग्राम स्तर पर आवश्यक है और करवाए जाए।

नए बनने वाले सरपंचों को सबसे पहले भारतीय संविधान के उन प्रावधानों को अवश्य पढ़ना चाहिए जिनकी ग्रामस्तर पर पालना की जानी चाहिए। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार कोई किसी से छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर पंचायत के स्थान में कोई ऐसी घटना आए तो पंचायत में प्रस्ताव लेकर दर्ज करने की कार्यवाही की जाए। एक अन्य अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी, बेगार प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 25 और 51ए एक साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना हर नागरिक का कर्तव्य है और अंधविश्वास समाप्त हो।

संविधान के अंतर्गत संसद व राज्य विधान सभा द्वारा कुछ कानून पारित हुए हैं जिनका ग्रामीण जागत के लिए विशेष महत्व है।इन्हेंकें क्रियान्वयन में सरपंच को अत्यंत सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए इनमें से एक है मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 196० । इस कानून की धारा 3 के अनुसार ऐसा भोज करना और करवाना अपराध है जिसके लिए 1 साल की सजा का प्रावधान है।ग्राम स्तर पर लगभग सभी जानते हैं कि कौन मृत्युभोज करने वाला है। सरपंच द्वारा उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा करना जुर्म है प्रतिबंधित है और यह अनावश्यक अंधविश्वास के कारण होता है, ऐसा ग्रामसभा प्रस्ताव पारित करे। अगर फिर भी कोई नहीं मानें तो लिखित सूचना एखडीएम को दी जाए। इसी प्रकार का एक अन्य कानून है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम। इस कानून की धारा 16 के अनुसार सरपंच बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी का सहयोगी है। इस प्रकार की शदी की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पाइन 1०98 सूचना दी जानी चाहिए और एसडीएम को सूचना देनी चाहिए।

दहेज प्रलंबध अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में शपथ दिलाई जा सकती है कि दहेज लेना और देना बंद है। जादू टोना, पाखंड, अंधविश्वास के विरुद्ध जब जागरण अभियान चलाया जाए। इस ऐंड मैजिक एक्ट 1954 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जादू, टोना, अप्रमाणित दवाइयों से बीमारी

ठीक करने का ढोंग करे तो यह अपराध है और 1 साल तक की सजा है। यदि ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक, पंचायत ग्रामपंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर ऐसा ढोंग करता है तो सरपंच तत्काल अतिक्रमण हटवाएं, पंचायत एक्ट की धारा 64 के अंतर्गत जुर्माना भी लगाना चाहिए। एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार सरपंच का यह कानून दायित्व है कि वह धारा 1०9 के अनुसार ऐसी घटना की जांचकारी संबंधित पुलिस अधिकारी को दे।

पाठक सहमत होंगे कि प्रदेश के अलग-अलग भागों में अब भी ग्रामीण भारत में मृत्यु भोज, बाल विवाह,डायन के नाम पर अत्याचार आदि आदि, कई कुरीतियां और अंधविश्वास प्रचलित है। समय और शिक्षा से जागरूकता के कारण इन में कमी जरूर आए है किंतु समाप्त नहीं हुई है। ग्रामपंचायतें इनको समाप्त करने के लिए दिल से प्रयास करें।

मै ग्राम स्तर के कई ऐसे उत्साही व्यक्तियों के संपर्क में आया हूं जो अपने स्तर पर बाल विवाह,मृत्युभोज अस्पृश्यता और अन्य कई कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध स्थानीय अखबारों में लिखते रहते हैं और अपने स्तर पर ही छोटे-छोटे कार्यक्रम आयोजित कर अथवा पोस्टरों द्वारा आम लोगों को इन बिंदुओं पर जागरूक करते रहते है। इन्हीं लोगों के सोशल मीडिया व अन्य तरीके से रुचिकर, ज्ञानवर्धक सूचनाएं मिलती है। उनका एक नमूना है दीवारों पर ऐसा लिखना और नारे लगवाना:-“शिक्षित समाज, नमान मुक्त गांव, समानता और सम्मान, संविधान की ताकत” सभी ग्रामपंचायतें ऐसा कर सकती हैं कोई कठिन और खर्चीला कार्य नहीं है।

सोशल मीडिया पर ही एक जागरूक ग्रामसभा द्वारा बनाए प्रस्ताव का नमूना उपलब्ध है जो इस प्रकार है :- “ग्राम पंचायत संविधान के अनुच्छेद 51ए, 234 जी की अनुसूची के क्रमांक 24,25 और पंचायती राज अधिनियम की धारा 64,92 के अनुसार सर्व सहमति से निर्णय लिया गया है:--(1) ग्राम पंचायत में मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध है उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कार्य बंदी होगी। (2) जिस किसी को पता चले बाल विवाह की सूचना तुरंत सरपंच को देना। (3) समस्त ग्राम पंचायत वारियों से अनुरोध है और उनका दायित्व भी है कि वे जादू टोना से इलाज, डायन अफवाह, पाखंड फैलाने वालों,1० बजे के बाद डीजे बजाने वालों का विरोध करें, ग्राम पंचायत को तत्काल सूचना दें और ग्राम पंचायत

आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना अधूरा है शहरी स्वशासन का सपना

उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान शहरी आबादी का सटीक आकलन कठिन है। हालांकि, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे शहरों का विस्तार तथा नई आवासीय कॉलोनियां व व्यावसायिक सुविधाओं से जुड़े 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य शहरी विकास में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका मजबूत करना था। लेकिन व्यवहार में जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के साथ वित्तीय अभावका, र्पायपत कर्मचारी और प्रशासनिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना अब भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय रिजर्व बैंक की नगरपालिका वित्त रिपोर्ट–2०24 इस चुनौती को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023–24 में नगर निगमों का राजस्व देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ०.6 प्रतिशत था। अधिकांश नगर निगमों की अपनी आय उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे सरकारी हस्तांतरणों एवं अनुदानों पर निर्भर हैं। यह स्थिति बताती है कि शहरी अर्थव्यवस्था के विस्तार के बावजूद स्थानीय निकाय अपनी राजस्व क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता इसलिए केवल आय बढ़ाने का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय निर्णय क्षमता और प्रभावी शहरी शासन की बुनियादी शर्त है।

वर्ष 2०11 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की शहरी आबादी लगभग 1.7० करोड़ थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 24.9 प्रतिशत थी। नई जनगणना के आंकड़े

उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान शहरी आबादी का सटीक आकलन कठिन है। हालांकि, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे शहरों का विस्तार तथा नई आवासीय कॉलोनियां व व्यावसायिक सुविधाओं से जुड़े 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य शहरी विकास में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका मजबूत करना था। लेकिन व्यवहार में जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के साथ वित्तीय अभावका, र्पायपत कर्मचारी और प्रशासनिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना अब भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय रिजर्व बैंक की नगरपालिका वित्त रिपोर्ट–2०24 इस चुनौती को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023–24 में नगर निगमों का राजस्व देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ०.6 प्रतिशत था। अधिकांश नगर निगमों की अपनी आय उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे सरकारी हस्तांतरणों एवं अनुदानों पर निर्भर हैं। यह स्थिति बताती है कि शहरी अर्थव्यवस्था के विस्तार के बावजूद स्थानीय निकाय अपनी राजस्व क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता इसलिए केवल आय बढ़ाने का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय निर्णय क्षमता और प्रभावी शहरी शासन की बुनियादी शर्त है।

उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान शहरी आबादी का सटीक आकलन कठिन है। हालांकि, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे शहरों का विस्तार तथा नई आवासीय कॉलोनियां व व्यावसायिक सुविधाओं से जुड़े 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य शहरी विकास में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका मजबूत करना था। लेकिन व्यवहार में जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के साथ वित्तीय अभावका, र्पायपत कर्मचारी और प्रशासनिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराना अब भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय रिजर्व बैंक की नगरपालिका वित्त रिपोर्ट–2०24 इस चुनौती को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023–24 में नगर निगमों का राजस्व देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ०.6 प्रतिशत था। अधिकांश नगर निगमों की अपनी आय उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे सरकारी हस्तांतरणों एवं अनुदानों पर निर्भर हैं। यह स्थिति बताती है कि शहरी अर्थव्यवस्था के विस्तार के बावजूद स्थानीय निकाय अपनी राजस्व क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता इसलिए केवल आय बढ़ाने का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय निर्णय क्षमता और प्रभावी शहरी शासन की बुनियादी शर्त है।

संपत्ति कर नगरीय निकायों की आय का प्रमुख स्रोत है, लेकिन अपूर्े रिपोर्टों और कमजोर वसूली के कारण इसकी पूरी संभावनाओं का उपयोग नहीं हो पाता। जीआईएस आधारित मैपिंग, डिजिटल सर्वेक्षण और ऑनलाइन भुगतान से कर के दायरे से बाहर संपत्तियों की पहचान तथा संग्रह दक्षता में सुधार किया जा सकता है। कर दरें बढ़ाने के बजाय कर आधार का विस्तार, बकाया वसूली और अव्यवचना पर नियंत्रण प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों पर अनावश्यक बोझ न

पड़े। नगरपालिका की दुकानें, बाजार, व्यावसायिक परिसर, सामुदायिक भवन और पार्किंग स्थल नियमित रूप के महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। संपत्तियों का डिजिटल रजिस्टर तैयार करने, किराये की नियमानुसार समीक्षा करने तथा खाली परिसरों और विज्ञापन स्थलों की पारदर्शी ई-नीलामी से राजस्व बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक आर्टेन नीति, नियमित निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग निजी लाभ के बजाय शहर के हित में हो।

जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर और बीकानेर जैसे पर्यटन स्थलों पर पार्किंग, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प केंद्र और पर्यटक सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन नगरीय निकायों के लिए आय के अवसर पैदा कर सकता है। पर्यटन विभाग, स्थानीय व्यापारियों और निजी क्षेत्र के सहयोग से ऐसी परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। स्थानीय निकायों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आय बढ़ाने के साथ खर्च का प्रभावी प्रबंधन और जवाबदेही भी जरूरी है। आय-व्यय, बकाया कर, संपत्तियों और विकास कार्यों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। सरकार को प्रत्येक नगरीय निकाय की वित्तीय स्थिति और आर्थिक क्षमता के अनुरूप आय बढ़ाने के लक्ष्य तय करने चाहिए। बेहतर कर संग्रह, पारदर्शी संपत्ति प्रबंधन और निगरानी से सेवाओं में सुधार करने वाले निकायों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी,

आधुनिक तकनीक और निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता भी जरूरी है। सरकारी अनुदान और वित्त आयोग के हस्तांतरण के साथ निकायों की स्वयं की आय बढ़ाने पर समान रूप से ध्यान देना होगा। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित रखने के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने, संसाधन जुटाने और उनके उपयोग के प्रति जवाबदेह संस्थाओं के रूप में विकसित करना होगा।

21वीं सदी में शहरों का सतत विकास केवल सरकारी अनुदानों के भरोसे संभव नहीं है। संपत्ति कर सुधार, सार्वजनिक और वित्त आयोग का बेहतर उपयोग, पर्यटन आधारित आय, कचरा प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन से स्थानीय निकाय अपनी राजस्व क्षमता बढ़ा सकते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अर्थ सरकारी सहायता समाप्त करना नहीं, बल्कि उस पर अनावश्यक निर्भरता कम करते हुए स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है। शहरी स्वशासन की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब नगर निकाय केवल सरकारी धन खर्च करने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि अपने संसाधन जुटाने, विकास को प्राथमिकताएं तय करने और नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहने वाली आर्थिक रूप से सक्षम इकाइयां बनें। यही राजस्थान के शहरों के टिकाऊ और संतुलित विकास का आधार है।

—**डॉ. सुरेन्द्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा**



पंडित अनिल शर्मा

बुध्रिचक्र, मंगल-कर्क, बुध-